**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर**
**खंड पीठ**

---

**पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी. पी. शर्मा ,**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एल. झंवर,**

---

**दाण्डिक अपील क्र० 678/2005**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परदेशी, पिता कोडेराम नेताम,
उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम डोडेडे
थाना मानपुर जिला राजनांदगाव (छ.ग.) ..... अपीलार्थी

बनाम

छ.ग. राज्य, थाना मानपुर जिला राजनांदगाव (छ.ग.) ...... प्रत्यर्थी

(द. प्र. स., 1973 की धारा 374(2) के तहत अपील)

---

अपीलार्थी की ओर से : श्री श्रवण कुमार अग्रवाल

राज्य की ओर से : श्री राकेश कुमार झा , अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता

---

निर्णय

(8-04-2010 को पारित)

न्यायालय का निम्लिखित निर्णय **माननीय न्यायमूर्ति श्री टी. पी. शर्मा** द्वारा उदघोषित किया गया

1. इस अपील में चुनौती दिनांक 05/01/2005 के उस दोषसिद्धि निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध है, जो प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 52/2002 में पारित किया गया, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को मृतका दशमबाई की हत्या करने का दोषी पाते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा उसे आजीवन कारावास एवं ₹ 2000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया तथा अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने की स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास का आदेश दिया गया।
2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपीलकर्ता को दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य का पूर्ण अभाव है, तथापि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषसिद्ध कर दण्डित कर दिया, जो कि विधि के विरुद्ध एवं अवैध है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अभियोजन का संक्षिप्त मामला यह है कि 13/01/2002 एवं 14/01/2002 की मध्यरात्रि को मृतका दशमबाई अपने पति बीरूराम से अलग, खलिहान में एक खाट पर सो रही थी। मध्यरात्रि में बीरूराम ने गोली चलने की आवाज सुनी तथा उसकी पत्नी ने गौड़ी भाषा में कुछ कहा। वह जागा और आग की रोशनी में देखा कि अपीलकर्ता घटना स्थल के पास खड़ा था तथा उसके हाथ में बंदूक थी। बीरूराम ने अभियुक्त परदेशी से पूछा कि उसने उसकी पत्नी पर हमला क्यों किया, जिस पर अपीलकर्ता परदेशी मौके से फरार हो गया। उसकी पत्नी को गोली लगी थी, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। बीरूराम ने अपने भाई पहाड़ीराम को आवाज दी, जो उसके खलिहान के पास ही सो रहा था। वह आया और बीरूराम ने उसे घटना की जानकारी दी। लगभग एक घंटे बाद दशमबाई की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उन्होंने ग्रामीणों को घटना बताई और थाना जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-14) दर्ज कराई। मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-15) भी दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचा, गवाहों को बुलाकर पंचनामा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया। स्थल नक्शा (प्रदर्श पी-4) तथा पटवारी द्वारा स्थल नक्शा (प्रदर्श पी-3) बनाया गया। शव परिक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मानपुर भेजा गया। (अ.सा.-11) डॉ. राजेंद्र कटारिया ने शव परिक्षण (प्रदर्श पी-11) तैयार की एवं निम्नलिखित चोटें पाईं—

(i) बाएँ कंधे पर 2.5 से.मी. की गोलाकार गोली की चोट, काले किनारे सहित, फेफड़ों तक गहरी।

(ii) बाएँ इलियक क्रेस्ट पर 1 से.मी. त्रिज्या की गोली की चोट।

(iii) बाएँ कूल्हे पर 4 × 3 × 4 से.मी. की गोली की चोट।

(iv) फेफड़े क्षतिग्रस्त थे।मृत्यु का कारण शॉक था एवं मानव वध प्रकृति की थी।

4. सह-अभियुक्त जैराम को अभिरक्षा में लिया गया। उसने बंदूक के संबंध में कथन दिया (प्रदर्श पी-5), जिसके आधार पर बंदूक बरामद की गई (प्रदर्श पी-6)। घटनास्थल से रक्तरंजित एवं सादा मिट्टी जब्त की गई (प्रदर्श पी-7)। मृतका के कपड़े जब्त किए गए (प्रदर्श पी-10)। बंदूक को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया, जो कार्यशील पाई गई तथा उससे फायर किया जाना प्रमाणित हुआ (प्रदर्श पी-12)।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. गवाहों के कथन, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबागढ़ चौकी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से प्रकरण सत्र न्यायालय, राजनांदगांव को प्रतिबद्ध किया गया। वहाँ से प्रकरण उपार्पण के उपरान्त प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव के समक्ष विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

6. अभियोजन ने अपीलकर्ता के दोष को सिद्ध करने हेतु कुल 14 गवाहों का परीक्षण किया। अपीलकर्ता एवं अन्य सह-अभियुक्तों के कथन धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फँसाए जाने का दावा किया।

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव ने सह-अभियुक्त जैराम को दोषमुक्त करते हुए अपीलकर्ता को दोषसिद्ध एवं दंडादेश किया।

8. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार अग्रवाल तथा राज्य की ओर से श्री राकेश कुमार झा, उप शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। आक्षेपित निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परीक्षण किया गया।

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि दशमबाई का मानव वध होना विवादित नहीं है, किंतु अभियोजन अपीलकर्ता को अपराध से जोड़ने हेतु कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। इसके विपरीत, सह-अभियुक्त द्वारा किया गया कथन, यद्यपि स्वीकार्य नहीं है, तथापि वह अपीलकर्ता की दोषमुक्ति की ओर संकेत करता है और अपीलकर्ता द्वारा अपराध किए जाने की संभावना को पूर्णतः नकारता है।

10. इसके विपरीत, प्रत्यार्थी /राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया और यह प्रस्तुत किया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु पर्याप्त है कि अपीलकर्ता ही वह व्यक्ति था, जिसने ऐसी घातक चोट पहुँचाई, जिसके परिणामस्वरूप दशमबाई की मृत्यु हुई।

11. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों की विवेचना करने के उद्देश्य से, हमने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों का परीक्षण किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. वर्तमान प्रकरण में, मृतका दशमबाई की गोली लगने से हुई हत्या को अपीलकर्ता द्वारा वस्तुतः विवादित नहीं किया गया है, और दूसरी ओर यह तथ्य (अ.सा.-11) डॉ. राजेंद्र कटारिया की साक्ष्य एवं शव परिक्षण (प्रदर्श पी-11) द्वारा भी स्थापित है, जिससे यह प्रकट होता है कि मृतका दशमबाई के शरीर पर गोली से लगी घातक चोट पाई गई थी तथा मानव वध प्रकृति की थी।

13. अपीलकर्ता की उक्त अपराध में संलिप्तता के संबंध में, दोषसिद्धि मुख्यतः (अ.सा.-1) झाडूराम, (अ.सा.-2) पहाड़ीराम, (अ.सा.-3) दरबारिराम, (अ.सा.-6) जुग्गोबाई, (अ.सा.-9) समरीबाई एवं (अ.सा.-10) ऐशूराम की साक्ष्य पर आधारित है, जिन्होंने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि बीरूराम तथा उसकी पत्नी दशमबाई (अब मृत) खलिहान में अलग-अलग खाटों पर सो रहे थे, घटना के समय उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी और दशमबाई की मृत्यु गोली लगने की चोट के परिणामस्वरूप हुई। दशमबाई के पति बीरूराम, जो घटना के समय स्थल पर उपस्थित था, ने उन्हें बताया कि अपीलकर्ता परदेशी ने दशमबाई पर गोली चलाई और उसकी मृत्यु कारित की। वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन ने गवाह बीरूराम का परीक्षण नहीं किया, क्योंकि न्यायालय में विचारण के दौरान उसके परीक्षण से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई थी।

14. उपरोक्त गवाहों की साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि बीरूराम ने उन्हें बताया था कि अपीलकर्ता परदेशी ने उसकी पत्नी दशमबाई पर गोली चलाई और उसकी मृत्यु कारित की।

बीरूराम ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-14) दर्ज कराई तथा मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-15) भी दर्ज कराई, जिनमें वही तथ्य जाँच अधिकारी द्वारा बीरूराम के कथन के आधार पर उल्लेखित किए गए हैं।

15. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 59 (संक्षेप में "साक्ष्य अधिनियम") तथ्य को मौखिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने का प्रावधान करती है तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 यह प्रावधान करती है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 एवं 60 इस प्रकार हैं:—

> "**59. मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का प्रमाण।—** सभी तथ्य, दस्तावेज़ों *[या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों]* की विषय-वस्तु को छोड़कर, मौखिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किए जा सकते हैं।
>
> "**60. मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए।—** मौखिक साक्ष्य प्रत्येक दशा में, जो भी हो, प्रत्यक्ष होना चाहिए; अर्थात्—
>
> यदि वह ऐसे तथ्य से संबंधित है जिसे देखा जा सकता था, तो वह उस साक्षी का साक्ष्य होना चाहिए जो कहे कि उसने उसे देखा;
>
> यदि वह ऐसे तथ्य से संबंधित है जिसे सुना जा सकता था, तो वह उस साक्षी का साक्ष्य होना चाहिए जो कहे कि उसने उसे सुना;
>
> यदि वह ऐसे तथ्य से संबंधित है जिसे किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या किसी अन्य प्रकार से अनुभव किया जा सकता था, तो वह उस साक्षी का साक्ष्य होना चाहिए जो कहे कि उसने उसे उस इंद्रिय द्वारा या उस प्रकार से अनुभव किया;
>
> यदि वह किसी मत से या उस आधार से संबंधित है जिस पर वह मत धारण किया गया है, तो

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वह उस व्यक्ति का साक्ष्य होना चाहिए जो उस मत को उन आधारों पर धारण करता है:

परंतु यह कि, विशेषज्ञों के वे मत, जो किसी ऐसे ग्रंथ में अभिव्यक्त किए गए हों जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता हो, तथा वे आधार जिन पर ऐसे मत धारण किए गए हों, ऐसे ग्रंथों के प्रस्तुत किए जाने से सिद्ध किए जा सकते हैं, यदि लेखक मृत हो, या उपलब्ध न हो, या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया हो, या उसे साक्षी के रूप में बुलाया जाना ऐसा विलंब या व्यय उत्पन्न करता हो जिसे न्यायालय अनुचित समझता हो:

यह भी परंतु यह कि, यदि मौखिक साक्ष्य किसी दस्तावेज़ के अतिरिक्त किसी भौतिक वस्तु के अस्तित्व या अवस्था से संबंधित हो, तो न्यायालय, यदि वह उचित समझे, उस भौतिक वस्तु को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन ने उस व्यक्ति अर्थात् बीरूराम का परीक्षण नहीं किया, जो घटना के समय उपस्थित था; उसकी मृत्यु के कारण उपर्युक्त गवाहों ने यह बयान दिया है कि बीरूराम ने उन्हें घटना के संबंध में बताया था कि अपीलकर्ता परदेशी ने दशमबाई पर गोली चलाई। उपर्युक्त गवाहों की साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के संदर्भ में प्रत्यक्ष साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है।

17. अनुश्रुत साक्ष्य की ग्राह्यता के प्रश्न पर विचार करते हुए, ***विजेंदर बनाम दिल्ली राज्य, देविंदर उर्फ भिंडर बनाम दिल्ली राज्य, तथा मुकेश कुमार बनाम दिल्ली राज्य,*** प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि जिस व्यक्ति ने वास्तव में घटना को नहीं देखा है, उसके द्वारा दिया गया कथन प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और अनुश्रुति होने के कारण साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। पैरा-11 इस प्रकार है:—

> **"11.** अ.सा.-5 की यह साक्ष्य कि राजू ने उसे वाहन का नंबर तथा तीनों अपीलकर्ताओं के नाम अपराधियों के रूप में बताए थे, विधि की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि राजू

(अ.सा.-4) ने यह नहीं कहा कि उसने तीनों अपीलकर्ताओं को खुर्शीद का अपहरण करते हुए देखा था, और न ही उसने उस वाहन का नंबर बताया था, जिसमें खुर्शीद को ले जाया गया था। राजू (अ.सा.-4) की ऐसी प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में, अ.सा.-5 की उस सीमा तक की गवाही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 से आहत होती है। उक्त धारा, जहाँ तक वर्तमान प्रयोजन के लिए प्रासंगिक है, यह निर्धारित करती है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होना चाहिए; अर्थात्- *यदि वह ऐसे तथ्य से संबंधित है जिसे देखा जा सकता था, तो वह उस साक्षी की साक्ष्य होनी चाहिए जो कहे कि उसने उसे देखा* (बल दिया गया)। वर्तमान मामले में वे तथ्य जिन्हें देखा जा सकता था, यह थे कि खुर्शीद का अपहरण किया गया, कि अपीलकर्ताओं ने उसका अपहरण किया और यह कि उसका अपहरण कार क्रमांक DDB 5067 में किया गया, और इसलिए अ.सा.-4 ही (किसी अन्य प्रत्यक्षदर्शी के अभाव में) एकमात्र व्यक्ति था, जो विधि की दृष्टि से इन तथ्यों के संबंध में साक्ष्य देने के लिए सक्षम था। चूँकि अ.सा.-4 ने उपर्युक्त दो तथ्यों, अर्थात् कार का नंबर और अपहरण करने वाले व्यक्तियों के बारे में साक्ष्य नहीं दी, इसलिए अ.सा.-5 का यह कथन कि उसे भी उपर्युक्त दोनों तथ्यों के बारे में बताया गया था, अनुश्रुति होने के कारण स्वीकार्य नहीं होगा, किन्तु उसकी यह साक्ष्य कि अ.सा.-4 ने उसे बताया था कि खुर्शीद का अपहरण किया गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अंतर्गत पुष्टिकारक संपोषक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगी। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 भी अभियोजन के लिए सहायक नहीं है।”

18. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए ***आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पट्टनम आनंदम,*** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

व्यक्ति से यह कहा जाना कि उसके पुत्र ने उसे सूचित किया था, ऐसा कथन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वह अनुश्रुति के विरुद्ध नियम से आहत है। पैरा-10 इस प्रकार है:—

> "**10.** अगली महत्वपूर्ण परिस्थिति यह तथ्य है कि प्रत्यर्थी ने मृतका की मृत्यु के कारण के संबंध में गलत सूचना दी थी। यह निःसंदेह सत्य है कि चिकित्सकीय साक्ष्य निर्णायक रूप से यह स्थापित करता है कि मृतका को किसी कठोर एवं भोंथे वस्तु से पीटा गया था और उसकी गर्दन को इतनी बलपूर्वक दबाया गया था कि यहाँ तक कि हायॉइड हड्डी भी टूट गई थी। तथापि, अ.सा.-1 द्वारा सरपंच अ.सा.-11 से यह कहा जाना कि उसके पुत्र ने उसे यह जानकारी दी थी कि मृतका की मृत्यु कीटनाशक पदार्थ के सेवन से हुई थी, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वह अनुश्रुति के विरुद्ध नियम से आहत है। अतः इस परिस्थिति पर अभियोजन द्वारा यह सिद्ध करने हेतु भरोसा नहीं किया जा सकता कि प्रत्युत्तरदाता ने मृतका की मृत्यु के संबंध में कोई झूठा स्पष्टीकरण दिया था।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. वर्तमान प्रकरण में, बीरूराम के कथन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 दर्ज की गई तथा मर्ग सूचना प्रदर्श पी-15 दर्ज की गई, जिनमें यह तथ्य अंकित है कि अपीलकर्ता ने दशमबाई को चोट कारित की है।

20. अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित पुलिस प्रविष्टि के साक्ष्यमूल्य के प्रश्न पर विचार करते हुए, ***खासबाबा मारुति शोलके बनाम महाराष्ट्र राज्य,*** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पुलिस द्वारा की गई कोई भी प्रविष्टि तथा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना, सुनी-सुनाई साक्ष्य होने के कारण स्वीकार्य नहीं है। पैरा-14 इस प्रकार है:—

> "**14.** श्री खन्ना द्वारा पुलिस प्रविष्टि प्रादर्श 139 तथा अपराध पुस्तिका में की गई प्रविष्टि प्रादर्श 162 का भी संदर्भ दिया गया है, जिनके अनुसार यह गुप्त सूचना एकत्र की गई थी कि अपीलकर्ता अपने पास एक हथगोला रखे हुए थे। इन दस्तावेज़ों की विषय-वस्तु अधिक मूल्यवान नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि जिन व्यक्ति ने ये

प्रविष्टियाँ की थीं, उन्हें अपीलकर्ता द्वारा हथगोला रखने के संबंध में कोई प्रत्यक्ष ज्ञान था। इसके विपरीत, इन प्रविष्टियों से यह स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त सूचना किसी अन्य व्यक्तियों से प्राप्त की गई थी। उन व्यक्तियों का इस प्रकरण में साक्षी के रूप में परीक्षण नहीं किया गया है। अभिलेख पर किसी भी व्यक्ति की कोई मुख्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि उसने अपीलकर्ता को हथगोला अपने पास रखते हुए देखा हो। हमारे मत में, उपर्युक्त दोनों दस्तावेज़ इस तथ्य के संबंध में कि अपीलकर्ता के पास हथगोला था, साक्षियों की ठोस साक्ष्य का कोई विकल्प नहीं हो सकते।”

21. उपर्युक्त प्राधिकरणों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, उपर्युक्त गवाहों की साक्ष्य, पुलिस प्रविष्टि, प्रथम सूचना रिपोर्ट, मर्ग सूचना तथा ऐसी प्रविष्टियों पर आधारित साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं तथा अनुश्रुति के नियम से आहत हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है; तथापि, अन्य बातों के साथ सह-अभियुक्त जैराम का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत स्वीकारोक्ति कथन प्रदर्श पी-5 के माध्यम से दर्ज किया गया। यद्यपि, तथ्य के प्रकटीकरण को छोड़कर, उक्त संस्वीकृति कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, 26 एवं 27 के प्रावधानों के अनुसार उसे करने वाले अभियुक्त जैराम के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, किंतु वह अन्य सह-अभियुक्त के संबंध में एक प्रासंगिक तथ्य है, जिसने इस प्रकार का कोई संस्वीकृति कथन नहीं दिया है, जो कि निरपराध प्रकृति का है। दोषमुक्त किए गए अभियुक्त जैराम का संस्वीकृति कथन, जो प्रदर्श पी-5 के रूप में दर्ज किया गया है, यह दर्शाता है कि वर्तमान अपीलकर्ता परदेशी तथा एक अन्य सह-अभियुक्त डेरहा बीरूराम के खलिहान में गए थे और उसने स्वयं *बरभर भरमार* (अग्नि-शस्त्र) का उपयोग कर दशमबाई की हत्या की थी, *“दशमबाई को उनके कोठार में परदेशी नेताम डेरहा के साथ जाकर बरभार बन्दूक से”* ***“मैंने मारकर हत्या कर दिया”*** यह कथन वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा अपराध किए जाने की संभावना को पूर्णतः समाप्त कर देता है।

23. अधीनस्थ न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपीलकर्ता को दोषसिद्ध करते समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 एवं 60 के संदर्भ में साक्ष्य की प्रकृति एवं उसके स्वरूप पर विचार नहीं किया तथा अनुश्रुत साक्ष्य पर भरोसा किया, जो विधि की दृष्टि से साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, और इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषसिद्ध करते हुए गंभीर अवैधता की है। अपीलकर्ता की दोषसिद्धि विधि के अधीन पोषणीय नहीं है।

24. उपर्युक्त कारणों से, दाण्डिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और तदनुसार स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि एतद्द्वारा निरस्त की जाती है। अपीलकर्ता को तत्काल स्वतंत्र किया जाता है; यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे रिहा कर दिया जायेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

| | |
|---|---|
| सही/- | सही/- |
| श्री टी. पी. शर्मा | श्री आर. एल. झंवर |
| न्यायाधीश | न्यायाधीश |

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By ANURAG AGRAWAL**